न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एवं न्याय निर्णयन अधिकारी, सिरोही
(पीठासीन अधिकारीः डॉ. राजेश गोयल, आर.ए.एस.)

आवेदक

श्री मुकेश प्रजापत, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही

बनाम

प्रतिवादी / अभियुक्त

1. कमलेश कुमार शर्मा पुत्र दामोदर लाल शर्मा, खाद्य कारोबारकर्ता, मैसर्स श्री जी मेगा मार्ट, न्यु बस स्टेण्ड रोड़, पिण्ड़वाडा, जिला– सिरोही, निवासी– झाडोली, तहसील– पिण्डवाडा, जिला– सिरोही
2. चेनाराम देवासी पुत्र श्री गणेशाराम देवासी, खाद्य कारोबारकर्ता, मैसर्स शिव शक्ति एन्टरप्राईजेज, पालीवाल ट्रान्सपोर्ट के सामने, राजेन्द्र मॉर्केट, सुमेरपुर, जिला– पाली, निवासी– पोमावा, जिला– पाली – 306902
3. श्रीमती राधा देवी, खाद्य कारोबारकर्ता, मैसर्स रिद्धि सिद्धी ट्रेडर्स, 12 वीर सावरकर ब्लॉक, मण्डोर मण्डी, जोधपुर, निवासी–पोमावा, जिला–पाली– 306902

F.S.S.Act Case No. 86/2025

"अर्न्तगत धारा 26 की उपधारा 2(ii) एवं धारा– 51 व 58 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006"

उपस्थितिः अधिवक्ता श्री विनीत कुमार जैन, प्रतिवादीगण की ओर से।

–: निर्णय :– **दिनांक 25 मार्च, 2026**

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। आवेदक श्री मुकेश प्रजापत, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा यह न्याय निर्णयन आवेदन, प्रतिवादीगण के विरुद्ध आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री मुकेश प्रजापत द्वारा दिनांक 02–5–2025 को मैसर्स श्री जी मेगा मार्ट, न्यु बस स्टेण्ड रोड़, पिण्ड़वाडा, जिला– सिरोही में प्रतिवादी विक्रेता कमलेश कुमार शर्मा पुत्र दामोदर लाल शर्मा, निवासी– झाडोली, तहसील– पिण्ड़वाडा, जिला– सिरोही से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच कीमतन क्रय किये गये खाद्य पदार्थ घी (ब्राण्ड बाबा) का नमूना संख्या S-2697, खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की विश्लेषण जांच रिपोर्ट संख्याःL.S./763/Act/2025/763 दिनांक 22–5–2025 में अमानक (sub-standard) and Contravenes Regulation No.2.3.7(2) FSSA 2011 पाया जाने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) व धारा 51 व 58 के तहत प्रस्तुत कर प्रतिवादी अभियुक्तगण पर शास्ति (Penalty) अधिरोपित करने का अनुरोध किया गया है।

(2) प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को विधिवत नोटिस जारी कर तामिल करवाये गये। जिस पर प्रकरण की सुनवाई के नियत तिथि 25–3–2026 को प्रतिवादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री विनीत कुमार जैन ने उपस्थित होकर प्रतिवादीगण की ओर से जुर्म स्वीकारोकित का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रकरण का आज ही निस्तारण करने का अनुरोध किया। जिस पर प्रतिवादीगण के अधिवक्ता को आज ही सुना गया। प्रतिवादीगण के अधिवक्ता ने यह व्यक्त किया कि प्रतिवादी संख्या 3 जो कि थोक विक्रेता है, प्रतिवादी संख्या 2 जो कि सप्लायर है व प्रतिवादी संख्या 1, रिटेलर विक्रेता है। प्रतिवादीगण उक्त खाद्य पदार्थ घी बाबा ब्राण्ड के निर्माता व पैकर नही है। यह उनकी प्रथम गलती है। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने उक्त खाद्य पदार्थ घी बाबा ब्राण्ड को पैकिंग अवस्था में ही क्रय कर विक्रय किया है व

.....पेज दो पर

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001.

प्रतिवादी संख्या 3 ने भी घी बाबा ब्राण्ड को पैकिंग अवस्था में क्रय कर विक्रय किया गया है, लेकिन प्रतिवादी संख्या 3 के पास उक्त खाद्य पदार्थ घी बाबा ब्राण्ड के खरीद का बिल कहीं गुम हो गया है। प्रतिवादीगण ने लोक अदालत की भावना से जुर्म स्वीकार किया है। अतः प्रतिवादी संख्या 1 से 2 को दोषमुक्त कर प्रतिवादी संख्या 3 पर कम से कम जुर्माना कर प्रकरण का निस्तारण करावे।

(3) पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि श्री मुकेश प्रजापत, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, दिनांक 02–5–2025 को समय 05–05 पी.एम. पर खाद्य पदार्थो के निरीक्षण हेतु मैसर्स श्री जी मेगा मार्ट, न्यू बस स्टेण्ड रोड़, पिण्ड़वाडा, जिला– सिरोही पर गये। वहां पर विक्रेता एवं खाद्य कारोबारकर्ता की हैसियत से प्रतिवादी कमलेश कुमार शर्मा पुत्र श्री दामोदर लाल शर्मा, निवासी– झाडोली, तहसील– पिण्ड़वाडा, जिला– सिरोही उपस्थित मिले। आवेदक श्री मुकेश प्रजापत, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मैसर्स श्री जी मेगा मार्ट, न्यु बस स्टेण्ड रोड़, पिण्ड़वाडा, जिला– सिरोही की दुकान का निरीक्षण करने पर मैसर्स श्री जी मेगा मार्ट, न्यु बस स्टेण्ड रोड़, पिण्ड़वाडा की दुकान के अन्दर एक रैक में आम जन के बिक्री हेतु खाद्य पदार्थ घी (ब्राण्ड बाबा) के 15 पैक पैकेट (प्रत्येक पैकेट 500 एम.एल.) रखे हुये पाये, जिनमें मिलावट का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत जांच हेतु नमूना लेने की सूचना प्रपत्र 5ए में प्रतिवादी कमलेश कुमार शर्मा पुत्र श्री दामोदर लाल शर्मा को गवाह श्री धर्मवीर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी के समक्ष भरकर दी एवं रसीद प्राप्त की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री मुकेश प्रजापत ने मैसर्स श्री जी मेगा मार्ट, न्यु बस स्टेण्ड रोड़, पिण्ड़वाडा की दुकान के अन्दर एक रैक में आमजन के बिक्री हेतु रखे हुए खाद्य पदार्थ घी (ब्राण्ड बाबा) के 15 पैक पैकेट (प्रत्येक पैकेट 500 एम.एल.) में से खाद्य पदार्थ घी (ब्राण्ड बाबा) के 04 (चार) पैक पैकेट (प्रत्येक पैकेट 500 एम.एल.) को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत नमूना जांच हेतु खरीदा एवं उसकी कीमत राशि रुपये 1020/– (रुपये एक हजार बीस मात्र) प्रतिवादी विक्रेता कमलेश कुमार शर्मा पुत्र श्री दामोदर लाल शर्मा को नकद अदा कर खरीद रसीद/बिल प्राप्त किया। आवदेक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री मुकेश प्रजापत ने लेबल तैयार कर लेबल पर अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही) के कोड एवं क्रमांक S-2697, दिनांक, स्थान, खाद्य पदार्थ घी (ब्राण्ड बाबा) आदि अंकित कर उस पर प्रतिवादी विक्रेता कमलेश कुमार शर्मा व उक्त गवाह के हस्ताक्षर कराये एवं स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री मुकेश प्रजापत ने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री मुकेश प्रजापत ने खरीदशुदा खाद्य पदार्थ घी (ब्राण्ड बाबा) के चारों नमूना पैक पैकेटों पर एक–एक लेबल गोंद से चिपकाया और खरीदशुदा घी (ब्राण्ड मेहाई) के चारों नमूना पैकेटों को अलग–अलग कागज में लपेट कर, प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर प्रतिवादी विक्रेता कमलेश कुमार शर्मा तथा गवाह के हस्ताक्षर कराये व स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री मुकेश प्रजापत ने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् चारों नमूना भागों को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कब्जे/जाप्ते में लिया तथा मौका रिपोर्ट तैयार की, जिस पर प्रतिवादी विक्रेता कमलेश कुमार शर्मा पुत्र श्री दामोदर लाल शर्मा व गवाह तथा श्री मुकेश प्रजापत, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर है। तत्पश्चात् खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय में पॅहुचकर फार्म नम्बर VI की प्रतियां तैयार की व उस पर नमूनें को सील्ड करते समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की। नमूना के चारों भागों के साथ फार्म नम्बर VI की एक–एक प्रति लगाकर चारों नमूना भागों को आउटर कवर में बंद किया व नियमानुसार सील चपडी किया तथा फार्म नम्बर VI की दो–दो प्रतियां, दो लिफाफो में अलग–अलग बन्द कर गोंद से चिपकाकर लिफाफों को

.....पेज तीन पर

प्रति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001.

न्यायालय अति० जिला मजिस्ट्रेट सिरोही (राज०)

सील चपडी किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री मुकेश प्रजापत ने दिनांक 05–5–2025 को नमूनें का एक भाग व फार्म नम्बर 6 का एक सील बन्द लिफाफा, भावना, कार्मिक, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के द्वारा खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की एवं शेष तीन नमूना भाग व फार्म नम्बर 6 का सील बन्द लिफाफा अभिहित अधिकारी को दिनांक 02–5–2025 को ही जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। इस प्रकार, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री मुकेश प्रजापत द्वारा प्रतिवादी कमलेश कुमार शर्मा पुत्र श्री दामोदर लाल शर्मा, खाद्य कारोबारकर्ता व विक्रेता, मैसर्स श्री जी मेगा मार्ट, न्यु बस स्टेण्ड रोड़, पिण्डवाडा, जिला– सिरोही से खाद्य पदार्थ घी (ब्राण्ड बाबा) के 500–500 एम.एल. के पैक पैकेटों को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच क्रय करने की कार्यवाही विधिवत की गई है। प्रकरण में खाद्य विश्लेषक, जोधपुर से खाद्य पदार्थ घी (ब्राण्ड बाबा) के नमूना संख्या S-2697 की प्राप्त विश्लेषण जांच रिपोर्ट क्रमांक:L.S./763/Act/2025/763 दिनांक 22–5–2025 में खाद्य पदार्थ घी (ब्राण्ड बाबा) का नमूना संख्या S-2697, अमानक (sub-standard) and Contravenes Regulation No.2.3.7(2) FSSA 2011 पाया गया है। पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि प्रतिवादी कमलेश कुमार शर्मा पुत्र श्री दामोदर लाल शर्मा की फर्म मैसर्स श्री जी मेगा मार्ट, न्यु बस स्टेण्ड रोड, पिण्डवाडा, जिला– सिरोही द्वारा उक्त खाद्य पदार्थ घी (ब्राण्ड मेहाई) के 500–500 एम. एल. के पैक पैकेटों को मैसर्स शिव शक्ति एन्टरप्रोईजेज, पालीवाल ट्रांसपोर्ट के सामने, राजेन्द्र मार्केट, सुमेरपुर, जिला– पाली से जरिये बिल खरीद किया था जो चेनाराम देवासी पुत्र श्री गणेशाराम देवासी (प्रतिवादी संख्या 2) की फर्म है तथा प्रतिवादी संख्या 2 (दो) चेनाराम देवासी पुत्र गणेशाराम देवासी की फर्म मैसर्स शिव शक्ति एन्टरप्रोईजेज, पालीवाल ट्रांसपोर्ट के सामने, राजेन्द्र मार्केट, सुमेरपुर द्वारा उक्त खाद्य पदार्थ घी (ब्राण्ड बाबा) के 500–500 एम.एल. के पैक पैकेटों को फर्म मैसर्स रिद्धि सिद्धि ट्रेडर्स, 12 वीर सावरकर ब्लॉक, मण्डोर मण्डी, जोधपुर से जरिये बिल खरीद किया गया था, जो प्रतिवादी संख्या 3 (तीन) राधा देवी की फर्म है। प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 3 (तीन) राधा देवी की फर्म मैसर्स रिद्धि सिद्धि ट्रेडर्स, 12 वीर सावरकर ब्लॉक, मण्डोर मण्डी, जोधपुर द्वारा उक्त खाद्य पदार्थ घी (ब्राण्ड बाबा) की खरीद के बिल प्रस्तुत नही किये गये है। प्रकरण में पत्रावली के अवलोकन से यह तथ्य भी स्पष्ट है कि प्रतिवादी विक्रेता कमलेश कुमार शर्मा से मैसर्स श्री जी मेगा मार्ट, न्यु बस स्टेण्ड रोड़, पिण्डवाडा, जिला– सिरोही में आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री मुकेश प्रजापत ने खाद्य पदार्थ घी (ब्राण्ड बाबा) के 500–500 एम. एल. के पैक पैकेटों को कम्पनी पैकिंग अवस्था में ही खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत नमूना जांच हेतु खरीदा है एवं खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 27 में विक्रेता, थोक विक्रेता, वितरक व निर्माता के दायित्व दिये हुए है, जिसके अनुसार अमानक (Sub-standard) and Contravenes Regulation No.2.3.7(2) FSSA 2011 खाद्य पदार्थ घी (ब्राण्ड बाबा) के विक्रय हेतु प्रतिवादी संख्या 3 (तीन) राधा देवी, खाद्य कारोबारकर्ता, मैसर्स रिद्धि सिद्धि ट्रेडर्स, 12 वीर सावरकर ब्लॉक, मण्डोर मण्डी, जोधपुर दोषी है। इस प्रकार, पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रतिवादी राधा देवी, खाद्य कारोबारकर्ता, मैसर्स रिद्धि सिद्धि ट्रेडर्स, 12 वीर सावरकर ब्लॉक, मण्डोर मण्डी, जोधपुर द्वारा अमानक (Sub-standard) and Contravenes Regulation No.2.3.7(2) FSSA 2011 खाद्य पदार्थ घी (ब्राण्ड बाबा) (नमूना संख्या S-2697) का विक्रय करके उक्त अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया गया है जो उक्त अधिनियम की धारा 51 व 58 के तहत शास्ति (Penalty) योग्य अपराध है।

........पेज चार पर

प्रति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001.

न्यायालय अति० जिला मजिस्ट्रेट सिरोही (राज०)

आदेश

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 80 के तहत प्रतिवादी संख्या 1 व 2 क्रमशः कमलेश कुमार शर्मा व चेनाराम देवासी को दोषमुक्त करते हुए उक्त अधिनियम की धारा 51 व 58 के तहत अमानक (Sub-standard) and Contravenes Regulation No.2.3.7(2) FSSA 2011 खाद्य पदार्थ घी (ब्राण्ड बाबा) (नमूना संख्या S-2697) के विक्रय करने हेतु प्रतिवादी श्रीमती राधा देवी, खाद्य कारोबारकर्ता, मैसर्स रिद्धि सिद्धि ट्रेडर्स, 12 वीर सावरकर ब्लॉक, मण्डोर मण्डी, जोधपुर, निवासी– पोमावा, जिला– पाली पर राशि रुपये 35,000/– (अक्षरे रुपये पैंतीस हजार मात्र) की शास्ति (Penalty) अधिरोपित की जाती है। साथ ही, प्रतिवादी राधा देवी, खाद्य कारोबारकर्ता, मैसर्स रिद्धि सिद्धि ट्रेडर्स, 12 वीर सावरकर ब्लॉक, मण्डोर मण्डी, जोधपुर को आदेशित किया जाता है कि उक्त शास्ति (Penalty) की राशि का राष्ट्रीयकृत बैंक से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के पक्ष में Crossed Demand Draft जिसका भुगतान सिरोही शहर में प्राप्त किया जा सके बनवाकर इस न्यायालय/कार्यालय में 15 दिन के भीतर जमा करवाये।

निर्णय आज दिनांक 25–3–2026 को सर–ए–ईजलास सुनाया गया।

न्यायालय अति० जिला मजिस्ट्रेट सिरोही (राज०)

(डॉ. राजेश गोयल)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,
सिरोही
(न्याय निर्णयन अधिकारी)